

कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर

संस्थागत फार्म एवं नर्सरी पर कृषि एवं अन्य कृषि कार्य हेतु दर संविदा के लिए टेण्डर
(खुली निविदा)

निविदा अवधि वर्ष	:-	एक वर्ष (2025-26 वर्ष)
निविदा प्रपत्र की कीमत	:-	रु. 1000 /-
निविदा की अनुमानित लागत	:-	रु. 9.00 लाख
निविदा संदर्भ	:-	फार्म एवं नर्सरी कार्य हेतु टेण्डर
धरोहर (Bid Security) राशि	:-	2% (रु. 18000 /-)
परिशिष्ट संख्या एक	:-	नर्सरी इकाई पर अजोला, केचुआ एवं फल वृक्ष रख- रखाव व अन्य कृषि कार्य हेतु दर विवरण
परिशिष्ट संख्या दो	:-	निविदा की अन्य शर्तें
परिशिष्ट संख्या तीन	:-	तकनीकी निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या चार	:-	सेवाओं के उपापन के लिए निविदा दर प्रपत्र
निविदा प्रपत्र बेचने की तिथि एवं समय	:-	21.08.2025 से (प्रातः 11.00 से दोपहर 1.00 बजे तक)
भरी हुई निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	:-	08.09.2025 (दोपहर 11.00 बजे तक)
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:-	08.09.2025 (दोपहर 02:30 बजे)
निविदा खोलने का स्थान	:-	कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर
पत्राचार हेतु पता	:-	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर

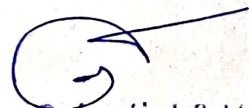
नोट: धरोहर राशि केवल बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी।
धरोहर राशि दिनांक 08.09.2025 पूर्वान्हन 11.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।

धरोहर राशि 2 प्रतिशत रु. बैंकर चेक/ड्राफ्ट संख्या दिनांक
के द्वारा जमा कराई दी गई है


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

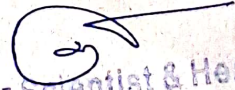
कृषि विज्ञान केन्द्र अजमेर के संस्थागत फार्म एवं नर्सरी पर कृषि एवं अन्य कृषि कार्य
हेतु दर संविदा

क्र.स.	कृषि कार्य	निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दर (रूपये)
1.	फलदार व अन्य पेड़ों में सिंचाई कार्य	रु. /- प्रति है.
2.	वर्मी कम्पोस्ट खाद निकालना व छानना तथा केचुरें पुनः ट्रेन्च में डालना (ट्रेन्च आकार 3'x1.5'x20')	रु. प्रति ट्रेन्च
3.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई (3'x1.5'x20') में गोबर कचरा मिश्रण डालकर पूरा भरना व प्रतिदिन पानी छिड़कना	रु. प्रति ट्रेन्च
4.	अजोला इकाई (3'x1.0'x20') में शीट बिछाना मिट्टी (10 सेमी) पानी (15 सेमी ऊँचाई) भरना व गोबर घोल डालना व अजोला बीज डालना	रु. प्रति ट्रेन्च
5.	अजोला ट्रेचों (3'x1.0'x20') को खाली करना (मिट्टी पानी हटाना)	रु. प्रति ट्रेन्च
6.	मिट्टी खाद मिश्रण तैयार कर थैलियाँ भरना व ट्रेन्च में जमाना	रु. प्रति थैली
7.	थैलियों में बीज बुवाई	रु. प्रति थैली
8.	ट्रेन्चों (आकार 3'x1.0'x20') की थैलियों में निराई सफाई व सिंचाई कार्य	रु. प्रति ट्रेन्च
9.	कलमें काटना कलम तैयार करना व थैलियों में लगाना	रु. प्रति कलम
10.	बीजू फल-पौधों में बडिंग (कलिकायन) कार्य	रु. प्रति पौधा
11.	फल वृक्षों की गुड़ाई व थॉवले बनाना	रु. प्रति वृक्ष
12.	फल वृक्षों में खाद-उर्वरक डालना व मिलाना (ट्रेन्च बनाकर)	रु. प्रति वृक्ष
13.	फल वृक्षों की कृन्तन (कटाई-छँटाई) व सधाई (Training) कार्य	रु. प्रति वृक्ष
14.	फल बगीचे में खरपतवार निकालना (Manual)	रु. प्रति है.
15.	फल बगीचे में दवाई के छिड़काव नैपसेक स्प्रेयर द्वारा	रु. प्रति है.
16.	बगीचे की अवॉछित झाड़ियाँ, वृक्ष/पौधों को हटाना व सफाई कार्य	रु. प्रति है.
17.	पौध रोपण हेतु गड्डे खोदना व खाद मिलाकर वापस भरना (गड्डे का आकार 2'x2'x2')	रु. प्रति गड्डा
18.	गड्डों में पौधे लगाना, थावला बनाना व सिंचाई कार्य	रु. प्रति पौधा
19.	शेड नेट सिलाई का कार्य (मशीन/मानव श्रम)	रु. प्रति वर्गमीटर
20.	अकुशल श्रमिक (अन्य कृषि कार्य व खेत की रखवाली कार्य)	रु. प्रति 8 घंटे
21.	अर्ध कुशल श्रमिक	रु. प्रति 8 घंटे
22.	कुशल श्रमिक	रु. प्रति 8 घंटे
23.	कार्यालय व गेस्ट हाउस इत्यादी की सफाई का कार्य	रु 4000.00 प्रति माह


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा लिफाफा सीलबन्द होना चाहिये एवं निविदा प्रपत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी अजमेर को निविदा के विवरण के साथ लिफाफे के ऊपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
2. सीलबंद लिफाफे में निम्नांकित संलग्नक आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
 - a. निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र व अन्य शर्तें परिशिष्ट सं. 1 व 2
 - b. धरोहर राशि (Bid Security) का बैंकर्स चैक/डीडी।
 - c. राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
 - d. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति।
 - e. निविदा शर्तें पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित
 - f. पैन कार्ड की छाया प्रति।
 - g. राज्य सरकार द्वारा लागू न्यूनतम मजदूरी दरों से कम दर की निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त दरों में सभी कर व खर्चे जैसे ESI/EPF/GST/Service Charge, etc. सम्मिलित करनी है। ये दोनों संलग्न प्रपत्र में भर कर देनी है। (परिशिष्ट सं. 3 व 4)
 - h. सम्बन्धित कार्य का विगत तीन वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
 - i. मुख्य लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में रखी जानी चाहिए।
 - j. तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
3. दर शब्दों एवं अंकों में लिखें। किसी भी प्रकार की काट/छोट अथवा फिर से ठीक किया हुआ निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं होगा।
4. दर राशि देने से पूर्व समस्त शर्तों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर एवं मोहर करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें।
5. निविदा की धरोहर राशि (Bid Security) 2 प्रतिशत रु. 18000/- जमा करवानी होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं होगी।
6. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में रु. 500/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध शर्तें (परिशिष्ट संख्या-2 क्रमांक 1 से 33 तक) निष्पादित व नोटरी सत्यापित करावाकर कार्यालय में जमा कराना होगा व 3 प्रतिशत अमानत राशि जमा करवानी होगी।
7. ठेकेदार/फर्म श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है व ठेकेदार/फर्म को सर्विस टैक्स/GST पी. एफ. एवं ई.एस.आई संबंधित विभाग में जमा करवाने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
8. ठेके/फर्म के अधीन कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी/पारिश्रमिक वेतन के अनुसार ही भुगतान करना होगा इस बिन्दू को ध्यान में रख कर निविदा देवे।
9. अमानत राशि एवं धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. अनुबन्ध की अवधि अनुबंध पत्र निष्पादित करने की तिथि से एक वर्ष तक (वर्ष 2025-26) के लिये मान्य होगी।
11. अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि इस कार्यालय को जरूरत हुई तथा सेवाएँ संतोषजनक रही तो अनुबन्ध इसी दर एवं शर्तों पर तीन माह तक ठेकेदार की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। जो ठेकेदार को मान्य होगा।
12. किसी भी नाबालिग जो 18 वर्ष से कम आयु का है को कार्य पर नहीं लगाया सकता है।
13. ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने पर सम्पूर्ण दायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा तथा नुकसान की वसूली करने का पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र को होगा।
14. ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिक का व्यवहार ठीक नहीं होने पर उसको तत्काल बदलने का समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा।
15. श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य से प्रभारी अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही ठेकेदार/फर्म को भुगतान किया जायेगा।
16. फार्म एवं नर्सरी के कृषि कार्य संबंधित अधिकारी की देख रेख में होगा
17. सिंचाई हेतु जल आपूर्ति फार्म द्वारा ठेकेदार/फर्म को दी जायेगी।
18. कृषि कार्य हेतु आवश्यक सामान उपकरण/यंत्र ठेकेदार/फर्म को उपलब्ध करवाना होगा।

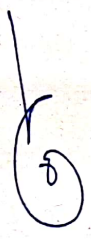

 Senior Scientist & Head
 Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

19. ठेकेदार/फर्म को यथासम्भव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर होगा, जिसके लिये ठेकेदार को तुरन्त व्यवस्था करनी होगी।
20. ठेकेदार/फर्म द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह ठेकेदार/फर्म को वहन करनी होगी। हानि की यह राशि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा तय करने पर ठेकेदार/फर्म को इसका भुगतान समय पर करना होगा।
21. ठेकेदार/फर्म कार्य की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है। तो यह कार्य विश्वविद्यालय करवायेगा। इसी प्रकार ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य अधूरा छोड़ने पर भी विश्वविद्यालय शेष कार्य अपनी जिम्मेदारी एवं लागत पर करवायेगा। जिसका भुगतान ठेकेदार/फर्म को करना होगा।
22. भुगतान केवल किये गये कार्य का ही किया जायेगा तथा किसी भी कार्य के लिये कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी।
23. कार्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए कार्य की समय अवधि घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
24. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र तबीजी अजमेर को होगा जो कि ठेकेदार/फर्म को मान्य होगा।
25. किसी भी प्रकार के वाद एवं विवाद की स्थिति में सात दिन के नोटिस पर ठेकेदार/फर्म का अनुबंध निरस्त/ब्लेक लिस्ट किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त धरोहर राशि व अमानत राशि जब्त करने व बचे हुए निविदादाताओं में से जिसकी दर न्यूनतम होगी उसे ठेका देने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी, अजमेर को होगा। किसी भी प्रकार के वाद एवं विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
26. इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु कार्य वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी, अजमेर एकल आर्बिट्रिटर होंगे एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
27. ठेकेदार/फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा GST आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय-समय पर रिकार्ड जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा। आकस्मिक दुर्घटना की दशा/ लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियां ठेकेदार /श्रमिक की होगी।
28. आयकर कटौती मान्य दरों से संस्था प्रधान द्वारा ठेकेदार/फर्म के बिलों के भुगतान में से काट ली जावेगी।
29. फार्म एवं नर्सरी के विभिन्न कृषि कार्य की प्राथमिकता को फार्म इन्चार्ज/फार्म मैनेजर तय करेंगे और उसी आधार पर /फर्म ठेकेदार द्वारा कार्य का निष्पादन करवाया जायेगा।
30. ठेकेदार/फर्म को रात्रि में सिचाई व अन्य कार्य केवल पुरुष श्रमिक से करवाना होगा।
31. ठेकेदार/फर्म को अपना स्वयं की फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड व पैन कमांक की प्रति देनी होगी अन्यथा निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
32. श्रमिक को भुगतान प्रतिमाह फार्म मैनेजर/फार्म इन्चार्ज के समक्ष करना होगा तथा मैनेजर के द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र के बाद ही आगामी माह का भुगतान होगा।
33. कार्य का विभाजन नहीं किया जायेगा, अलग-अलग कार्यों के लिए पृथक-पृथक निविदादाता/फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत के आधार से किया जायेगा।



Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Almer

- i. निविदा का खोला जाना—
दिनांक 08.09.2025 को दोपहर 11:00 बजे तक प्राप्ति तथा निविदा प्रपत्रों को दिनांक 08.09.2025 दोपहर 02:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।
- ii. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि—
सफल निविदादाता को कार्यदेश राशि के 3.0 प्रतिशत राशि डीडी अथवा नकद जमा करवाई जा सकती है। पूर्व में बोली प्रतिभूति के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यदेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से / आंशिक जब्ता की जा सकेगी।
- iii. उत्तरदायित्व—
सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रूप से हो सकें।
- iv. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ—
निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक/रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र तबीजी अजमेर को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार कर या उनके पत्र व्यवहार का जबाब दिया जाए। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। पर्याप्त बिड सिक्यूरिटी, निविदा शुल्क के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।
- v. अनुमानित राशि का आंकलन :—
प्रपत्र 'र' में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 9.00 लाख है। केन्द्र द्वारा आयकर स्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।
- vi. दर संविदा अनुबंध की अवधि—
दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।



Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

vii. अनुबन्ध पत्र—

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप से अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रु 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करना है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की *Risk and Cost* पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपॉवर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं।

viii. भुगतान की शर्तें—

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करना होगा तथा माह की सात तारीख तक गत माह का अग्रिम भुगतान करना होगा। उक्त सेवाओं के बदले फार्म प्रबंधक/प्रभारी द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा।

ix. भुगतान की जिम्मेदारी—

निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यों के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

x. मध्यस्थः—

निविदा की किसी भी शर्तें/ शर्तों के संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र तबीजी अजमेर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

xi. कार्यादेश का निरस्तीकरण—

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र तबीजी अजमेर को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

xii. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति—

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि यह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती केन्द्र द्वारा की जाएगी।

xiii. निविदा की अन्य शर्तें—

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-2 के नियम 68 निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार लागू होंगी।

xiv. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

xv. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार— बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों को सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिमावी होगा और मूल्य में सुधार किया जायेगा, यदि इकाई मूल्य में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिमावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिमावी होंगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपयुक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिमावी होगी।

xvi. सत्यनिष्ठा संहिता— उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, -

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्त, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि बोली में कूट मूल्य वृद्धि का प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय के दुरुपयोग नहीं करेगा।

Senior Scientist & Head
Krishna Vigyan Kendra, Ajmer

- (ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया को किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य दशा में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

xvii. हित का विरोध -

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो,
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था के किसी कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उप तक सीमित नहीं है:-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय अस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और अस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य किया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपाहर की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हों, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु दन तक सीमित नहीं हैं यदि,-
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के माफत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।



Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Almer

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

xviii. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण - प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर एवं द्वितीय अपील वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र तबीजी अजमेर होंगे।

1. अपील - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही से लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप में (प्रपत्र-‘य’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसका तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसका समक्ष उप-धारा (1) के अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से 30 दिवस के अन्दर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन

संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्युत्पन्न है तो बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के अन्दर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएं।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएं।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का द्वारा करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अडचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्रारूप -

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - य) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस -

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जावेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

Senior Judicial Officer
Kriahi Vigyan Kendra, Almer

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया -

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों को अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करेगा।
- (4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

xix. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायलय क्षेत्र अजमेर (राजस्थान) होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष,
कृषि विज्ञान केंद्र, तारीख अजमेर
Senjib Dutta
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूंगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अतिआवश्यक शर्त :-

1. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा तथा वास्तविक भुगतान की पुष्टि श्रमिक के बैंक खाते के विवरण से भी किया जा सकेगी।
2. प्रतिमाह की गणना 26 दिन के आधार पर की जायेगी।
3. श्रमिकों को नियोजित करते समय उसके पी.एफ. खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
4. श्रमिक के ई.एस.आई में पंजीयन करवाकर प्रथम बिल के साथ संलग्न करना होगा।
5. पी.एफ. की जमा पुष्टि श्रमिक के पी.एफ. विवरण से कभी भी की जा सकेगी, यदि पी.एफ. खाते में राशि कम जमा करवाना पाया गया तो कभी भी वसूली की जा सकेगी।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति मूल कार्मिकों की सूची जिनके खातों के अन्य राशि जमा की गई है, प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा निविदाकर्ता को बिल/बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसका निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. सफल तकनीकी निविदादाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो गणना उपरंत भुगतान योग्य राशि नहीं हो, प्रस्तावित करने पर शून्य प्रतिफल मानते हुए RPPT Act की धारा 2 (xviii) के अंतर्गत अमान्य होगी।

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1-4.6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5.8 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)

- 1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

- 2 राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1982 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था का प्रस्तुत की जायेगी।

- 3 संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।


Joint Secretary
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

नोट:-1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव किया जायेगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वेजिज के उपर कुछ भी सर्विस चार्ज नहीं दर्शाते है, ऐसी फर्म को Unresponsive माना जायेगा।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता/करते हैं तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तों/नियमों को मलीमाति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उनसे मैं/हम पूर्णयता सहमत है।

हस्ताक्षर
पूर्ण पता फर्म की मोहर



Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

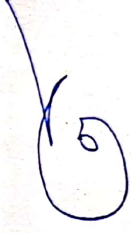
प्रपत्र द

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य सेवा/सेवा ईकाई की जहां कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में *Defaulter* का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर



Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....

.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

.....

Place Date

Appellant's Signature


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

कृषि विज्ञान केन्द्र अजमेर

1. निविदा फर्म का नाम :
2. कार्य का विवरण : संस्थागत फार्म एवं नर्सरी पर कृषि एवं अन्य कृषि कार्य का तकनीकी निविदा प्रपत्र
- i. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

क स	विवरण	रजि. स.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बिमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (PAN No.)				

Signature & Stamp of Bidder
Mobile No.



Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Ajmer

जाब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिए निविदा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी

1. निविदा फर्म का नाम :
2. कार्य का विवरण :

संस्थागत फार्म एवं नर्सरी पर कृषि एवं अन्य कृषि कार्य का तकनीकी निविदा प्रपत्र

ii. बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजिकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

क स	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जोकि प्रचलित न्यूनतम मजदुरी की दर से कम नहीं होगा। मय संख्या	श्रमिक की श्रेणी न्यूनतम मजदुरी दर	श्रमिक की संख्या	राशि	ESI दर प्रतिशत 3.25%	EPF दर प्रतिशत 13.00 %	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	अकुशल	रु 285 प्रति आठ घन्टे प्रति व्यक्ति	1	रु 285 प्रति आठ घन्टे प्रति व्यक्ति	रु 09.26	रु 37.05		9
	राक रो माफ	अर्ध कुशल	रु 297 प्रति आठ घन्टे प्रति व्यक्ति	1	रु 297 प्रति आठ घन्टे प्रति व्यक्ति	रु 09.65	रु 38.61		
	राक रो माफ	कुशल	रु 309 प्रति आठ घन्टे प्रति व्यक्ति	1	रु 309 प्रति आठ घन्टे प्रति व्यक्ति	रु 10.04	रु 40.17		

उपयुक्त तालिका में स्तम्भ संख्या एक से सात तक की पूर्ति सम्बन्धित संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेगी तथा केवल स्तम्भ संख्या आठ व नौ में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियों अंकित की जा सकेंगी।

Signature & Stamp of Bidder
Mobile No.

 **Seminar Nasional & Head
Krisna Mulyan Kendra, Amari**